




राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्र. 241 / मि.सं. / रा.स्व.भा.मि / पं.ग्रा.वि.वि / 2019,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 18/06/2019


उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर,
रायपुर।

विषय :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत वफर जोन का निर्धारण।

संदर्भ :- विभागीय पत्र क्रमांक एफ 04-02/2016/32 अटल नगर, दिनांक 31 मई, 2019।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार समस्त जिलों को आवश्यक निर्देश इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 112 (A) दिनांक 14 मई, 2019 के माध्यम से प्रदाय किये जा चुके हैं। सुलभ संदर्भ हेतु दिये गये निर्देश की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- यथोपरि।




मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, दिनांक 18/06/2019

क्र. 242 / मि.सं. / रा.स्व.भा.मि / पं.ग्रा.वि.वि / 2019,


तिलिपि :-

- 1 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, अटल नगर,
 - 2 विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, अटल नगर,
 - 3 संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इंद्रावती भवन, अटल नगर,
 - 4 संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर,
 - 5 संचालक, पंचायत, डी.के.एस.भवन परिसर रायपुर,
 - 6 सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, अटल नगर,
 - 7 उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय,
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।




मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग



राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्र. 112(N) मि.सं./रा.स्व.भा.मि. (ग्रा)/प.ग्रा.वि.वि./2019

रायपुर, दिनांक 14/05/2019

प्रति,

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष,
प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
जिला रायपुर
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सह
सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
जिला रायपुर

विषय:- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत बफर जोन निर्धारण के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक एफ 4-2/2016/32 अटल नगर, दिनांक 01/05/2019।


विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4-2/2016/32 अटल नगर, दिनांक 01/05/2019 के अनुसार-

1. पाँच टन प्रतिदिन से अधिक संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा विस्तारण सुविधा के आस-पास गैर विकास का बफर जोन बनाए रखा जाएगा। इसका अनुरक्षण अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण सुविधा के कुल क्षेत्र के अंदर किया जायेगा।
2. बफर जोन का निर्धारण स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से मामला दर मामला आधार पर किया जायेगा।

अतः आदेशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

नियमों के संगत प्रावधान एवं इस संबंध में केन्द्रीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी दिशा-निर्देश की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग